E Content for the student of Patliputra University

Subject - Political science

class B.A.(Hons.) Part-II Paper III

Topic - Election of Indian President-

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. - Pol. Sc.
R.R.S. College, Mokama

भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में भारतीय संविधान ने एक अनोखा प्रावधान किया है। राष्ट्रपति का चुनाव फ्रांसीसी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह न तो प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा किया जाता है और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कई प्रकार की मौलिक भिन्नताओं पर आधारित है।

भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में कई प्रकार की मौलिक प्रावधानों का कारण भारत में संसदीय प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति के पद का स्वरूप औपचारिक प्रधान का बनाये रखना, केंद्र और राज्यों की समतुलता के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि कई बातें संविधान निर्माताओं के समक्ष थी।

भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान संविधान की धारा 54 एवं 55 में की गई है। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली के प्रावधान को अस्वीकार कर दिया। वैसा राष्ट्रपति जो संपूर्ण देश की जनता द्वारा चुना जायेगा वह व्यवहारिक एवं नैतिक रूप से प्रधानमंत्री से भारी समझा जायेगा, क्यों कि प्रधानमंत्री एक संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है और संसद

समर्थन के आधार पर लोकसभा द्वारा चयनित होता है। इस प्रकार संविधान का संसदीय स्वरूप पर ही प्रश्नचिन्ह लग जायेगा।

निर्वाचकमंडल – संविधान की धारा 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल (Electoral college) का प्रावधान किया गया है। निर्वाचक मंडल में लोक सभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। केन्द्र शासित प्रदेश, जहाँ विधान सभा हो, उसके भी निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। इसका लाभ दिल्ली और पुडुचेरी को मिलता है। विधान परिषद तथा लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान सभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। पुर्ननिर्वाचन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, किन्तु राजेन्द्र प्रसाद के अतिरिक्त सभी राष्ट्रपति एक ही कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। अगर किसी कारण से बीच में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वरीयतम न्यायाधीश क्रमशः कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकते हैं, किन्तु हर स्थिति में छः महीने के पूर्व नये राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। इस कारण निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य की ~~किसी~~ रिक्ति या किसी राज्य की विधान सभा भंग रहने की स्थिति में चुनाव टाला नहीं जा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बना रहता है। भारत में यह प्रावधान नहीं है।

निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों का मूल्य –

विधान सभा एवं संसद के सदस्यों के माध्यम से संविधान निर्माताओं के समक्ष केंद्र तथा राज्यों के बीच समुलता का तालमेल बैठाने की समस्या थी। इसके साथ यह भी रक्षित समझा जा रहा था कि सदस्य जिस संख्या में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसी अनुपात में उनके मतों का मूल्य निश्चित किया जाय। इस हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्यों के मतों का मूल्य निर्धारित किया ~~गया~~ गया। इस हेतु निम्न लिखित दो सूत्र उपयोग में लाये जाते हैं :—

(1) राज्य विधान सभा के सदस्यों के मतों का मूल्य = $\frac{\text{राज्य की कुल जन संख्या}}{\text{विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}} \times \frac{1}{1000}$

(500 से अधिक शेष बचने पर 1 जोड़ा जायेगा)

(अवतक के प्रावधान के अनुसार 1971 में जन संख्या ही राज्य की जन संख्या माना जाता है।)

(2) संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मतों का मूल्य = $\frac{\text{सभी विधान सभाओं के कुल सदस्यों के मतों का मूल्य}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}$

(शेष बचने पर 1 जोड़ा जायेगा)

उपर्युक्त दोनों सूत्रों के आधार पर मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस प्रावधान से ज्यादा मत संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों के मतों की मूल्य ज्यादा हो जाता है। तथा जो कम संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके मतों का मूल्य कम रहता है। इसी प्रकार केंद्र तथा राज्यों के मतों का मूल्य लगभग बराबर रहता है।

निर्वाचन की पद्धति 4

भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। यद्यपि यह प्रणाली एक समूह द्वारा एक से अधिक सदस्यों के चुनाव के लिए किया जाता है किंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसी प्रक्रिया को अपनाना राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक समझा। इससे एक लाभ यह माना गया कि राष्ट्रपति 50% से कम प्राप्त मतों के आधार पर नहीं चुना जा सकेगा। जैसाकि लोकसभा विधानसभा आदि के चुनावों में देखा जाता है।

मतदान की प्रक्रिया — इस चुनाव में मतदाता उम्मीदवार के नाम के आगे वोट चिन्ह या EVM के बटन का प्रयोग कर मतदान नहीं करते हैं। यहाँ मतपत्र भिन्न प्रकार का होता है। उम्मीदवार के आगे का कॉलम खाली रहता है। मतदाता खाली कॉलम में उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी पसंदगी के आधार पर निर्धारित किये गये कालम में 1, 2, 3 लिख सकते हैं। वे चाहें तो अपनी प्रथम पसंदगी का मत ही दे सकते हैं या सभी उम्मीदवारों को पसंदगी बतलाते हुए मत दे सकते हैं।

निश्चित मतसंख्या का निर्धारण — राष्ट्रपति के चुनाव में जीत के लिए एक निश्चित मतसंख्या का निर्धारण निम्न सूत्र के आधार पर कर लिया जाता है —

$$\text{निश्चित मतसंख्या} = \frac{\text{कुल वैध मतों के मूल्यों की संख्या}}{\text{पदसंख्या} + 1} + 1$$

इस सूत्र के आधार पर यह निश्चित है कि निर्वाचित राष्ट्रपति आधे से अधिक मतों को अवश्य प्राप्त करेगा। तभी वह विजयी घोषित होगा।

मतगणना - सर्वप्रथम प्रथम वरीयता के मतों की गिनती होती है। अगर इस आधार पर किसी उम्मीदवार को निश्चित मत संख्या के बराबर या अधिक मत प्राप्त हो जाता तो वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को छाँट दिया जाता है तथा उसके द्वितीय वरीयता के मतों का हस्तांतरण अन्य उम्मीदवारों के बीच कर दिया जाता है। उम्मीदवारों के छाँटने तथा उनके अगले वरीयता के मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया तबतक चलती रहती है जबतक किसी उम्मीदवार को निश्चित मत संख्या के बराबर मत प्राप्त न हो जाय।

योग्यता - राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की योग्यता है कि- वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। किन्तु सबसे बड़ी शर्त यह है कि उसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कमसे कम 50 प्रस्तावक तथा 50 समर्थक (अलग-अलग) का हस्ताक्षर नामांकन पत्र के साथ हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि महत्वहीन उम्मीदवारों को चुनाव से हटाया जाय।

अबतक वी० वी० गिरि द्वितीय वरीयता के आधार पर चुनाव जीते हैं, जबकि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीते हैं।

इसमें कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया भारतीय संवैधानिक स्थिति के अनुकूल है। इसमें मौलिकता है क्योंकि यह प्रक्रिया विश्व में अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती है।